भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4119
दिनांक 25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

ग्राम विकास के लिए आवंटित केंद्रीय अनुदान

†4119. श्री सुखदेव भगतः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने दिसंबर 2024 की अपनी रिपोर्ट में यह पाया है कि ग्राम विकास के लिए आवंटित केंद्रीय अनुदान का बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह गया अथवा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विपथित कर दिया गया और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या ऐसी कमियों से स्थानीय विकास परियोजनाओं में बाधा आ रही है और मंत्रालय द्वारा निधि उपयोग दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आवंटित संसाधनों के उचित उपयोग के लिए राज्यों को जवाबदेह बनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ख) ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने दिसंबर 2024 की अपनी तीसरी रिपोर्ट में कहा है कि "*उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे विभिन्न राज्यों में बड़े आवंटन के बावजूद बद्ध (टाइड) और अबद्ध (अनटाइड) अनुदानों के तहत काफी मात्रा में अप्रयुक्त शेष राशि है। आवंटित धन का उपयोग न होने से ये मुद्दे और भी गंभीर हो जाते हैं, जिससे समय पर स्थानीय विकास परियोजनाओं में बाधा आती है। कमजोर और दोषपूर्ण नियोजन प्रणाली वाले राज्यों में गैर-कार्यान्वयन और कम निधि अवशोषण का सामना करना पड़ता है, जो उच्च अप्रयुक्त शेष राशि को दर्शाता है। समिति ने गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में धन के विचलन, धन के वितरण में देरी, पारदर्शिता की कमी और अपर्याप्त नियोजन के बारे में चिंता जताई है जो स्थानीय जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अबद्ध (अनटाइड) अनुदानों की क्षमता को कमजोर करते हैं।*"

पंचायत विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यों में पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित वित्तीय हस्तांतरण प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों के वित्त की स्थिति का आकलन करने और राज्यों और स्थानीय निकायों को करों के साथ-साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुदान साझा करने की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है।

15वें वित्त आयोग के तहत, कुल अनुदान का 40% अबद्ध (अनटाइड) अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिसे ग्रामीण स्थानीय निकाय (RLBs) वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयोग कर सकते हैं।

कुल अनुदान का शेष 60% बद्ध (टाइड) अनुदान के रूप में आवंटित किया जाता है, जिसका उपयोग निम्नलिखित बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है: (ए) स्वच्छता और ओपन डेफेक्शन फ्री (ODF) स्थिति का रखरखाव, जिसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन, उपचार, और मानव मल एवं मल कीचड़ प्रबंधन शामिल है; (बी) पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, और जल पुनर्चक्रण। यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से संतृप्त कर लिया है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए इन धनराशि का उपयोग कर सकता है।

पंचायती राज मंत्रालय, किसी राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग (XV-FC) के तहत अबद्ध अनुदान जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को सिफारिश करता है, बशर्ते राज्य द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि 14वें वित्त आयोग (XIV-FC) के अनुदानों की अप्रयुक्त राशि विचाराधीन किस्त के 10% से अधिक नहीं है। और पिछले वित्तीय वर्ष में जारी किए गए 15वें वित्त आयोग (XV-FC) के अबद्ध अनुदानों का कम से कम 50% उपयोग किया गया हो। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों और राज्य द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदानों जारी करने लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य अनिवार्य पात्रता शर्तों का पालन किया गया है।

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/डेटा के अनुसार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024-25 तक 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त कुल अनटाइड अनुदान का क्रमशः 88% और 72% व्यय किया है। विवरण नीचे दिया गया है:

15वें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान का वर्षवार सारांश (करोड़ रुपये में)				
	उत्तर प्रदेश		महाराष्ट्र	
वर्ष	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
प्रारंभिक शेष (2021-22)	3259.76		2201.21	
2021-22	4554.539	4672	2334.955	1146.03
2022-23	3671.935	4218.73	2347.475	2154
2023-24	3608.01	3440.65	2199.03	2058.27
2024-25	3628.03	4225.99	841.96	1834.51
कुल	18722.274	16557.37	9924.63	7192.81
कुल अनटाइड अनुदान के विरुद्ध व्यय		88%		72%
डेटा ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन पर राज्यों में GP द्वारा की गई प्रविष्टियों पर आधारित है				

15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य अनिवार्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

i. आरएलबी को अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा यदि वे विधिवत गठित हैं, अर्थात यदि विधिवत निर्वाचित निकाय मौजूद हैं, सिवाय उन राज्यों/क्षेत्रों के जहां संविधान का भाग IX लागू नहीं होता है। यदि सभी निकाय विधिवत गठित नहीं हैं, तो अनुदान राज्य को वास्तविक आवंटन/ आनुपातिक आधार पर केवल विधिवत गठित निकायों के लिए जारी किया जाएगा।

ii. विचाराधीन वित्तीय वर्ष के लिए आरएलबी द्वारा योजनाओं को ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड करना, जैसा भी मामला हो, ऐसा न करने पर अनुदान केवल उन्हीं आरएलबी को आनुपातिक आधार पर जारी किया जाएगा, जिन्होंने ई-ग्रामस्वराज एप्लीकेशन पर योजनाएं अपलोड की हैं।

iii. आरएलबी को XV FC अनुदानों के लेन-देन के लिए ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस पर अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा।

iv. सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के पिछले वर्ष से पहले के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा ऑडिटऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरी होनी चाहिए। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है, तो अनुदान केवल उन RLBs को आनुपातिक आधार पर जारी किया जाएगा जिन्होंने ऑडिटऑनलाइन एप्लीकेशन पर अपने वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा पूरी कर ली हो।

v. इसी प्रकार, सभी आरएलबी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके पिछले वर्ष के अनंतिम खाते ईग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हों। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है, तो अनुदान केवल उन्हीं आरएलबी को आनुपातिक आधार पर जारी किया जाएगा जिनके वार्षिक खाते ईग्रामस्वराज एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं।

vi. जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करना होगा, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना होगा और मार्च 2024 को या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष उस पर की गई कार्रवाई के बारे में स्पष्टीकरण ज्ञापन रखना होगा। मार्च 2024 के बाद, ऐसे राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा, जिसने एसएफसी और इन शर्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

vii. समय पर निधि वितरण: केंद्र सरकार से XV-FC द्वारा अनुशंसित अनुदान प्राप्त होने पर राज्य सरकारों को 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित पंचायतों/पारंपरिक निकायों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी होने पर राज्य सरकार को पिछले वर्ष के लिए बाजार उधार/राज्य विकास ऋण पर ब्याज की औसत प्रभावी दर के अनुसार देरी की अवधि के लिए ब्याज सहित अनुदान जारी करना आवश्यक है।

राज्यों और पंचायती राज संस्थानों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान सहित पंचायत निधियों के कुशल प्रबंधन और प्रभावी निगरानी और उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने 24 अप्रैल, 2020 को ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन पंचायत के कामकाज के विभिन्न पहलुओं जैसे नियोजन, बजट, लेखांकन और लेखा परीक्षा की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

राज्य, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग की व्यवस्थित निगरानी के लिए ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना मॉड्यूल राज्यों को यह ट्रैक करने की अनुमति देता है कि पंचायती राज संस्थाएं किस प्रकार पहचानी गई आवश्यकताओं को अपनी विकास योजनाओं में शामिल करती हैं, तथा बजट आवंटन के साथ संरेखण सुनिश्चित करती हैं। इसके बाद, प्रगति रिपोर्टिंग मॉड्यूल अनटाइड अनुदान द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों से संबंधित भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है, जबकि लेखांकन मॉड्यूल वित्तीय लेनदेन और व्यय पैटर्न की विस्तृत ट्रैकिंग को

सक्षम बनाता है। इन कार्यात्मकताओं का उपयोग करके, राज्य इस बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदानों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, जिससे संसाधनों का अधिक प्रभावी और पारदर्शी आवंटन और उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए ई-ग्राम स्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया है ताकि विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान किया जा सके। इसके अलावा, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए एक एप्लीकेशन 'ऑडिटऑनलाइन' विकसित किया गया है। अप्रैल 2020 में शुरू किया गया ऑडिटऑनलाइन, केंद्रीय वित्त आयोग के फंड के उपयोग की पारदर्शी ऑडिटिंग की सुविधा देता है और पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करता है।

***